संख्या-विधि 3(2)/पंजीयन (2016-17)/परिपत्र भाग-3/ 719/1617015 /वाणिज्य कर

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 23 जून 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र संख्या-विधि 3(2)/पंजीयन (2016-17)/परिपत्र भाग-3/43/ वाणिज्य कर दिनांक 12.04.2016 द्वारा जोनवार पंजीयन लक्ष्य निर्धारित करते हुए पंजीयन प्रार्थनापत्रों के निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु मुख्यालय स्तर पर इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कतिपय अधिकारियों द्वारा गैर संवेदनशील वस्तुओं के मामले में निर्धारित एक कार्यदिवस में पंजीयन जारी नहीं किये जा रहे हैं। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि Online प्राप्त पंजीयन प्रार्थनापत्रों का निस्तारण गैर संवदेनशील वस्तुओं के मामले में एक कार्यदिवस में तथा संवेदनशील वस्तुओं के मामलों में व्यापार स्थल की जांचोपरान्त 15 दिन में अवश्य कर दिया जाये। अपूर्ण पंजीयन प्रार्थनापत्रों को Hold रखने का निर्णय भी अधिकतम एक कार्यदिवस में लिया जाये एवं अपूर्ण पंजीयन प्रार्थनापत्रों को Hold करने पर आवेदक का उत्तर प्राप्त होने / कमियॉ दूर करने पर नियमानुसार कमियों के निराकरण के उपरान्त एक कार्यदिवस में पंजीयन प्रार्थनापत्र का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

पंजीयन जारी किये जाने के उपरान्त पंजीयन प्रमाण पत्र (फार्म - XI) की हस्ताक्षरित प्रति की Scaned Copy e-mail द्वारा संबंधित व्यापारी के e-mail ID पर प्रेषित की जाये एवं हस्ताक्षरित मूल प्रति पूर्व की भांति पंजीकृत डाक से संबंधित व्यापारी को प्रेषित की जाए ।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का समस्त अधीनस्थ अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा लम्बित प्रार्थनापत्रों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह संबंधित ज्वाइन्टं कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा की जाए। भविष्य में यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित समयावधि में पंजीयन प्रार्थनापत्रा के निस्तारण की कार्यवाही नहीं की गयी है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

22/06/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।